भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 753
(जिसका उत्तर सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाना है)

"जीएसटी दरों में कमी"

†753. श्री मोहनभाई कुंडारिया:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को चाकू, चम्मच जैसी घरेलू मदों और किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विद्युत चालित पानी के पंप सेटों पर माल और सेवा कर स्लैब घटाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त मदों पर माल और सेवा कर घटाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें चाकुओं, चम्मचों और वाटर पंप सेट्स जैसे मदों पर जीएसटी की दरों को कम किए जाने की मांग की गयी है। जीएसटी की दरों और छूटों को सरकार जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर ही निर्धारित करती है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। अभी तक इस जीएसटी परिषद ने इस तरह की कोई भी सिफारिश नहीं की है।

*****